ग्राम पंचायत कड़ोआ , विकास खण्ड प्रागपुर,जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कड़ोआ , विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04. 2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति रमा शर्मा	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्री अशोक कुमार	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री ओमपाल	1.4.14 से 6/14
2	श्री राजकुमार	6/14 से 7/14
3	श्री संजय कुमार	7/14 से 11/14
4	श्री दिगविजय सिंह	11/14 से 7/16
5	श्रीमति नीलम कुमारी	8/2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कड़ोआ के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में अन्तर	0.92
2	9	अनुदान का उपयोग न करना	8.23
3	10	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	3.83
4	12	IWMP अनुदान से अधिक भुगतान	0.08
5	13	IWMP अनुदान निर्माण कार्य अंशदान की वसूली न करना	---
6	14	निर्माण कार्य का मूल्याँकन (Assessment) के बिना भुगतान	1.56
7	15	बर्तनों के क्रय पर अनुचित व्यय	0.03

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कड़ोआ, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13-11-2017 से 18-11-2017 तक ग्राम पंचायत कड़ोआ में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	1/2015	4/2014
2015-16	3/2016	2/2016
2016-17	6/2016	5/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कड़ोआ, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 293 /2017 दिनांक 18-11-2017 द्वारा अनुरोध किया गया|

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत कड़ोआ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रौत :-ग्राम पंचायत कड़ोआ के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	80226	55615	135841	24887	110954
2015-16	110954	63275	174229	88382	85847
2016-17	85847	80662	166509	166505	4

(ii) अनुदान :-ग्राम पंचायत कड़ोआ के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	470251	962156	1432407	543452	888955

2015-16	888955	1367957	2256912	1246103	1010809
2016-17	1010809	1671489	2682298	1859759	822539

5 **बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.92 लाख का अन्तर:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कड़ोआ द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके कारण दिनांक 31.03.17 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹91520 का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1 रोकड़ बही खाता क पैरा 4(i) का अन्तशेष 4

2 रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(ii) का अन्तशेष 822539

योग **₹**822543

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2017 को बैंक खातों तथा हस्तगत राशि के अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था |

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	**State bank of India**	**11681351871**	**16170**
2	**KCC bank of Pragpur**	**20073018549**	**476066**
3	**State bank of India**	**32228521224**	**81637**
4	**KCC bank Chintpurani**	**50055891126**	**350**
5	**Central bank of India**	**2168782662**	**156465**
6		**Cash in hand**	**335**
		G.Toal	**₹731023**

अन्तर=₹822543-₹731023=₹91520

6 **₹1.70 लाख का अनियमित भुगतान :--**

दिनांक 10-8-2015 को ग्राम पंचायत को ₹170000 की अनुदान राशि खंड विकास अधिकारी से प्राप्त हुई जिसका रोकड़ बही में कोई भी शीर्ष नहीं दर्शाया गया था, परन्तु दिनांक 10-2-2016 को यह राशि चेक द्वारा ग्राम पंचायत, हार को बिना किसी अधिकारी के आदेशों के भुगतान कर दी गई तथा न ही इस पंचायत से भुगतान के समर्थन में कोई भी रसीद प्राप्त की गई जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

7 **निर्धारित फार्म पर बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन

तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

8 पंचायत राजस्व के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत राजस्व के लिए गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया । अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

9 अनुदान ₹8.23 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान **₹822539** उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

10 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹3.83 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत कड़ोआ द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को TFC, SDP, MNREGA, MPLAD, IAY, PS में ₹382577 ऋणात्मक दर्शाई गयी है, जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन TFC, SDP, MNREGA, MPLAD, IAY, PS में अथवा किसी अन्य योजना से TFC, SDP, MNREGA, MPLAD, IAY, PS का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं ।

अनुदान का नाम	**राशि**
TFC	(-)54138
SDP	(-)91010
MNREGA	(-)1075
MPLAD	(-)95161
IAY	(-)4774
PS	(-)136419
योग	**(-)382577**

11 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना

:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

12 **IWMP अनुदान से 0.08 लाख का अधिक भुगतान ;----**

चयनित मासों में निमनानुसार दर्शाए गये भुगतान वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के विरूद्ध क्रय की गई मदों का मापन पुस्तिका में कम इन्द्राज किया गया, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा कम इन्द्राज की गई मात्रा की मूल्य ₹7584 की वसूली सम्बंधित से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

बा. सं.	मास	कार्य का नाम	विवरण	मात्रा (वास्तव में क्रय की गई)	मापन पुस्तिका में ली गयी मात्रा	कम ली गई मात्रा	दर	अधिक भुगतान
6	5/2016	c/o of RWHT Shri Sukhdev	(i) Sand (ii) Aggregate	218cft 327cft	190 276	28 cft 51cft	32 32	896 1632
7	5/2016	c/o of RWHT Shri Ashok Kumar	(i) Sand (ii) Aggregate	218cft 327cft	190 276	28 cft 51cft	32 32	896 1632
8	5/2016	c/o of RWHT Shri Prithvi Chand	(i) Sand (ii) Aggregate	218cft 327cft	190 276	28 cft 51cft	32 32	896 1632
						कुल योग		**₹7584**

13 **IWMP अनुदान निर्माण कार्य अंशदान की वसूली न करना:-**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित करवाए गये निर्माण कार्यों के लिए कोई भी अंशदान राशि प्राप्त नहीं की गई, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें।

14 **निर्माण कार्य का मूल्याँकन किए बिना ₹1.56 का अनुचित भुगतान:-**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों का भुगतान तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के मूल्याँकन (assessment) के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा| परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा **₹156200** का भुगतान मूल्याँकन (assessment) के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्याँकन (assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

बा. सं. सामान्य रोकड़ बही	मास	कार्य का नाम	राशि
1	4/2014	निर्माण रास्ता हैंडपंप से दिलवाग के घर तक	17600
53	2/2016	सफाई रास्ता वोली पीपला से नाथू मोड़ तक	18000
57	2/2016	सफाई रास्ता सतपाल के घर से लिंक रोड वार्ड 1	15120
58	2/2016	सफाई रास्ता गरोली नाला से दिनेश के घर तक	14940
61	2/2016	सफाई रास्ता डोंटा टैंक से मलकुआ बस्ती	18,000
62	2/2016	निर्माण सामुदायिक शोचालय जख मंदिर	10000
63	2/2016	निर्माण सामुदायिक शोचालय जख मंदिर	7500
64	2/2016	निर्माण सामुदायिक शोचालय जख मंदिर	14352
65	2/2016	निर्माण सामुदायिक शोचालय जख मंदिर	24300
16	5/2016	निर्माण सामुदायिक शोचालय जख मंदिर	7365
27	5/2016	निर्माण रास्ता व नाली हैंडपंप से दिलवाग सिंह के घर तक	3000
28	5/2016	निर्माण सामुदायिक शोचालय जख मंदिर	6023
		T0TAL	**₹156200**

15 बर्तनों के क्रय पर ₹0.03 लाख का अनुचित व्यय :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 8 के अनुसार निम्नानुसार बर्तनों के क्रय पर किया गया व्यय अनुचित प्रभार है जिसकी वसूली रसीद संख्या 64827 दिनांक 18.11.17 के द्वारा कर ली गई है जिसकी पुष्टि भी कर ली गई है ।

वाउचर संख्या	मास	विवरण	राशि
30	5/2016	बर्तन	3360

16 ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ASSET रजिस्टर का रख रखाव न करना :--

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (अस्ति)रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है, जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों

का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

18 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

20 **निष्कर्ष :-** लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)162/2017 खण्ड-1-3099-3102 दिनांक 07.05.2018 शिमला-09

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई

करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कड़ोआ विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881